Result Mitra Daily Magazine

UAPA के प्रावधान

हालिया सन्दर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को ध्यान में रखते हुए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानि UAPA के तहत गिरफ्तार एक नेपाली व्यक्ति शेख जावेद इकबाल को जमानत दी है।
- UAPA के तहत जमानत देने के लिये कडे प्रावधान किये गये हैं, लेकिन SC ने इसे दरकिनार कहते हुए कहा कि यदि अभियुक्त के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन किया गया हो तो जमानत देने में वैधानिक प्रतिबंध आडे नहीं आने चाहिये।
- जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और उज्जल मुथान की खंडपीठ ने कहा कि इकबाल नौ साल से जेल में बंद है और इतने लंबे समय में उसके खिलाफ केवल दो गवाहों के साक्ष्य दर्ज किये गए है।
- यह इस प्रकार का तीसरा मामला है, जब UAPA के तहत जमानत पर रोक के बावजूद SC ने जमानत दी है।

जमानत के प्रावधान :-

- UAPA की धारा 43 D (5) जमानत देने के लिये अतिरिक्त प्रतिबंध लगाती है।

- इसमें प्रावधान है कि जमानत देने से पूर्व सरकारी वकील की बात सुनी जानी चाहिये और ऐसे मामलों में जमानत को प्रतिबंधित किया जाना चाहिये, जब आरोप प्रथम दृष्टया सत्य लग रहा हो।
- इसमें प्रावधान है कि अभियुक्त को जमानत तभी दिया जाना चाहिये, जब वह दोषी न पाया गया हो।

SC का फैसला :-

- UAPA के तहत जमानत के कडे प्रावधानों के बारे में कहा कि ऐसे प्रावधानों की कठोरता तब कम हो जाएगी, जब उचित समय के भीतर मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि निर्धारित सजा के एक बडे हिस्से से ज्यादा हो गई हो।

पूर्व के मामले :-

- यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ए. नजीब मामले (2021) में भी SC ने आरोपी द्वारा जेल में 5 वर्ष से ज्यादा बिताए जाने पर जमानत दे दी थी।
- इतने लंबे समय जेल में रहने के बावजूद अभी भी 276 गवाहों की जाँच होनी बाकी थी।
- शोभा सेन बनाम भारत संघ मामले (2024) में SC ने UAPA आरोपी (भीमा कोरेगाँव मामले) और नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर शोभा सेन को जमानत देने के लिये एक नजीब के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि UAPA के तहत जमानत प्रतिबंधित होने के बावजूद लंबी अवधि तक अभियुक्त का जेल में बंद रहना, जमानत देने का आधार हो सकता है।
- इस मामले में SC ने माना कि "स्वतंत्रता" के किसी भी रूप से वंचित करना, अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है और ऐसा सिर्फ उचित आधार पर ही होना चाहिये।

इकबाल की गिरफ्तारी :-

- नेपाल-भारत सीमा पर 2015 में गिरफ्तारी,
- IPC , 1860 के तहत नकली मुद्रा रखने और जान बूझकर उसका इस्तेमाल करने का आरोप,
- UAPA के तहत भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुँचाने के लिये आतंकवादी कृत्य का आरोप,

- लखनऊ पुलिस द्वारा कथित तौर पर इकबाल के पास से 26 लाख 3500 नकली भारतीय नोट की बरामदगी।

UAPA

- वर्ष 1967 में अधिनियमित,
- गैर-कानूनी गतिविधियों का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है, जो किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन द्वारा भारत की अखंडता या संप्रभुता अथवा क्षेत्रीय संप्रभुता या अखंडता को नष्ट करने वाली गतिविधि या गतिविधियों को बढावा देने वाली होती है।
- यह अधिनियम संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार-19 (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार या बिना अस्त्र-शस्त्र के इकट्ठा होने के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्वधन आरोपित करता है।
- वर्ष 2019 में UAPA में संशोधन किया गया।

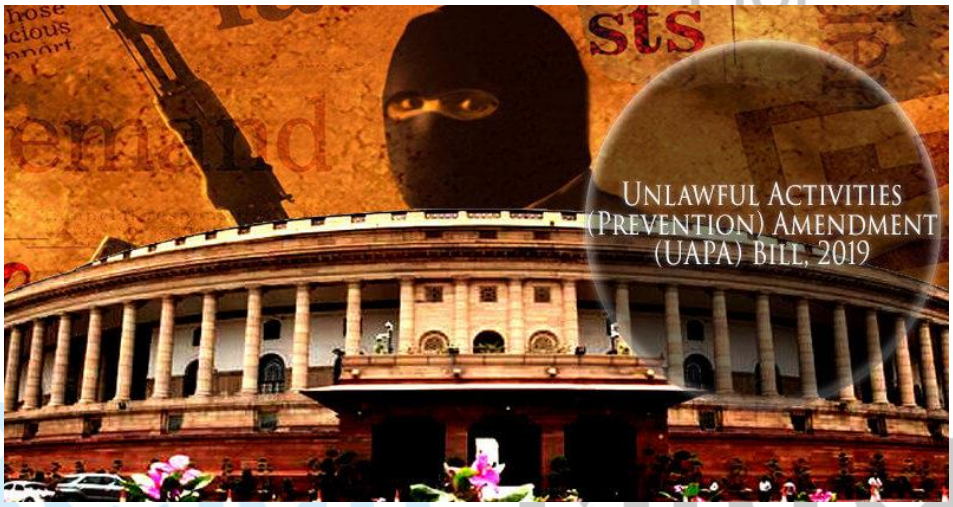

आतंकवादी कौन ?

- UAPA, 2019 में आतंक या आतंकवादी को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा-15 के अनुसार आतंकवादी कृत्य वह है, जो :-
- भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालता हो या ऐसा करने की कोशिश करता हो या
- भारत में या विदेश में लोगों के बीच आतंक फैलाता हो या ऐसी मंशा रखता हो।
- संशोधित एक्ट, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आतंकवादी कृत्य करते या उसकी तैयारी करते हुए पाया जाता है, आतंकवादी नामित करने का अधिकार देता है।
- पूर्व के एक्ट के भाग-4 एवं 6 में "आतंकवादी संगठन" पहले से ही परिभाषित था, जबकि नया संशोधन व्यक्तिगत आतंकवादी पर जोर देता है।

आतंकवादी घोषित :-

- केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामित करती है तथा UAPA के अनुसूची में उसे जोड देती है।
- सरकार को ऐसा करने से पूर्व उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है।
- जब किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो उस पर क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इसका कोई वर्णन नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र संध के द्वारा घोषित आतंकवादी (वैश्विक आतंकवादी) के विदेशी यात्रा एवं हथियार खरीदने पर प्रतिबंध होता है, जबकि उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है।

सूची से नाम हटाना :-

- केन्द्र सरकार अध्यक्ष (HC के पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश) एवं 3 अन्य सदस्यों वाली समीक्षा समिति का गठन कर सकती है और यदि समीक्षा समिति को लगता है कि सरकार का निर्णय दोषपूर्ण है तो वह सरकार, व्यक्ति का नाम आतंकवादी सूची से हटाने के लिये कह सकती है।
- इसके अलावा व्यक्ति केन्द्र सरकार से ऐसा करने के लिये आवेदन भी कर सकता है, जिस पर निर्णय लेने के लिये केन्द्र सरकार स्वतंत्र है।
- इन दो विकल्पों के अलावा व्यक्ति सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिये अदालत भी जा सकता है।

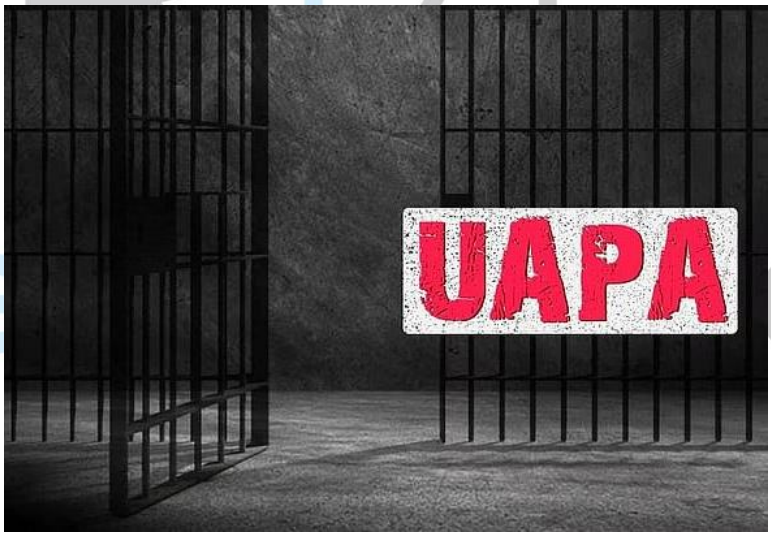

जाँच संबंधी प्रावधान :-

- पूर्व में UAPA के तहत आतंकवादी गतिविधि से जुडी संपत्तियों को जब्त करने के लिये राज्य के पुलिस महानिदेशक की अनुमति लेनी पडती थी, जबकि संशोधित UAPA में NIA (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी) के किसी अधिकारी द्वारा ऐसा किया जा सकता है।
- NIA के जाँच अधिकारी को महानिदेशक की मंजूरी लेनी पडती है।
- CBI जैसी केन्द्रीय एजेंसियों को राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है, क्योंकि कानून-व्यवस्था राज्य-सूची का विषय है।
- UAPA के तहत मामलों की जाँच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी (NIA) कर सकते है।

NIA

- एक सांविधिक निकाय,
- 31 दिसम्बर 2008 को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक के पारित होने के बाद स्थापना,
- 26 नवम्बर 2008 (मुम्बई हमले) के बाद आवश्यक केन्द्रीय जाँच एजेंसी के रूप में स्थापित,
- भारत में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी।

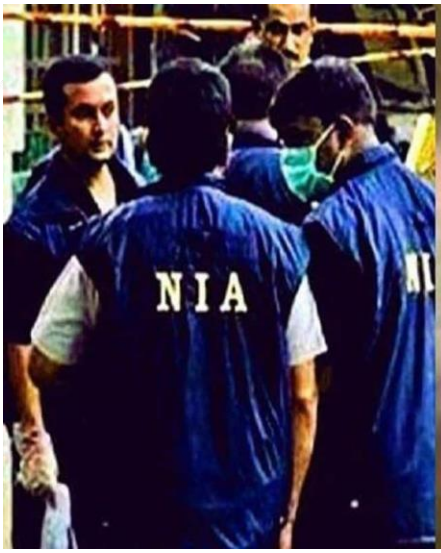

निवारक कानून :-

- इसके तहत बिना सुनवाई के व्यक्ति को अदालत में दोषी ठहराया जा सकता है।
- इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति को किये गये अपराधों के लिये दंडित करने के बजाय, भविष्य में किये जाने वाले अपराधों से रोकना होता है।

Result Mitra

प्रचलित निवारक कानून :-

- विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण एक्ट यानि COFEPOSA, 1974
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानि NIA, 1980
- चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय एक्ट यानि PBMSECA, 1980
- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ व्यापार निवारण एक्ट यानि PITNDPSA, 1988